II पथ एवं पुल परियोजनाओं के चयन का दिशानिर्देश (Guideline)

नाबार्ड वित्त सम्पोषित परियोजनाओं के चयन में गाँवों को बाजार, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, उच्च पथों एवं रेल हेड को जोड़नेवाली सड़कों को प्राथमिकता दी जाती है तथा इन पथों में पड़ने वाली उच्च स्तरीय पुलों का चयन किया जाता है। आर0आई0डी0एफ0 (RIDF) में ग्रामीण सड़कों में गाँव पथ (VR), अन्य जिला पथ (ODRS) एवं मुख्य जिला पथ (MDRS) को लिया जाता जो गाँव को विकास केन्द्र से जोड़ता है। राज्य उच्च पथ के पुलों को आर0आई0डी0एफ0 (RIDF) में लिया जाता है। जिससे अधिक से अधिक ग्रामीण जनसंख्या लाभान्वित हो सके।

A. परियोजनाएं के प्रकार :–

सभी परियोजनाएं इंडियन रोड कांग्रेस (आई0आर0सी0) के मापदंड पर तैयार होना चाहिए। प्रस्तावित पथ केवल Black Top (कालीकृत पथ) टाइप होना चाहिए। रिजिड पेवमेंट (Rigid Pavement) पर भी विचार किया जा सकता है यदि यह पथ का भाग या पुल का पहुंच पथ हो। इन योजनाओं का तकनीकी दिशा निर्देश (परिशिष्ट–A) में दिया गया है।

B. प्राथमिकताएं:–

परियोजनाओं के चयन में निम्नलिखित प्राथमिकताओं का सामान्यतः अनुसरण किया जाना चाहिए:–

(क) चल रहे पुल परियोजनाएं का पूर्णता

(ख) नए पुल परियोजनाएं जो आई0आर0सी0 पर आधारित एवं विकास केन्द्र से जुड़ने वाला हो।

(ग) पथों का मजबूतीकरण/चल रही पथ परियोजनाएं

(घ) नए पथ परियोजनाएं

C. परियोजनाओं की समीक्षा के बिन्दु

1. आई0आर0डी0एफ0 से वित्त पोषण (Financing) हेतु परियोजनाएं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) में पुल/पथ से संबंधित चेक लिस्ट समर्पित किया जाता है। परिशिष्ट–B में इसे संलग्न कर दिया गया है।

2. बारहमासी सम्पर्क सुविधा प्रदान करने हेतु चयनित पथों का इसमें पड़ने वाले पुल/पुलियों के साथ निर्माण किया जायेगा तथा पथ वाले अंश पुल/पुलिया का परियोजना प्रतिवेदन एक साथ तैयार किया जायगा। आवश्यकतानुसार 50 मी0 से अधिक SPAN के पुल के निर्माण हेतु प्रशासी विभाग बिहार राज्य पुल निर्माण निगम

लिमिटेड, पटना से Nomination के आधार पर कार्य कराने हेतु अनुशंसा करेगा तदनुसार बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा स्थल निरीक्षण कर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर तकनीकी अनुमोदनोपरान्त प्रशासी विभाग को प्रशासनिक अनुमोदन हेतु सौंपा जायेगा। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा तकनीकी स्वीकृति उपरान्त निर्माण कार्य कराया जायगा एवं योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से प्रशासी विभाग को समय–समय पर संसूचित कराया जायगा। प्रशासी विभाग समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा।

3. इस परियोजना अन्तर्गत बनाई जाने वाली सड़कों का निर्माण भारतीय रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप होगा। इस सन्दर्भ में आई0आर0सी0, एस0पी0–20:2002, एस0पी0–62:2004 एवं एस0पी0 72:2004 के अनुरूप पथों का निरूपण एवं कार्यान्वयन किया जायगा। ग्रामीण पथ विशिष्ट (Rural Road Specification) के अनुरूप योजनाओं का कार्यान्वयन एवं गुण नियंत्रण प्रभावी होगा। विशेष स्थिति में राज्य सरकार इससे भिन्न विशिष्टियाँ भी निर्धारित कर सकती है। एवं प्रशासी विभाग समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा।

4. इस योजनान्तर्गत किये जा रहे कार्यों के External Certificate के लिए Out sourcing के आधार पर सरकारी, गैर सरकारी अथवा सेवानिवृत्त तकनीकी एवं प्रशासी पदाधिकारी एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट आदि की सेवायें प्राप्त की जा सकेगी। प्रशासी विभाग समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा।

5. चयनित पथ निर्माण योजनाओं का विस्तुत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए Out Sourcing के आधार पर व्यवसायिक तकनीकी फर्म/Consultant की सेवायें प्राप्त की जा सकेगी। प्रशासी विभाग समय–समय पर इससे सबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा।

6. पथों एवं पुलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर विभाग द्वारा गठित निगरानी एवं उड़नदस्ता दल द्वारा योजनाओं के निर्माण कार्य की जाँच की जायेगी। प्रशासी विभाग समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा।

7. पथों एवं पुलों से लिए गए नमूनों की जाँच ग्रामीण कार्य विभाग/पथ निर्माण विभाग/बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की जाँच प्रयोगशालाओं के साथ–साथ अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं विभाग के अनुमोदन से अन्य प्रतिष्ठित जांच

प्रयोगशालाएं में भी करायी जा सकेगी। प्रशासी विभाग समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश करेगा।

8. सभी निर्माण कार्यों के विभिन्न चरणों में उनकी विडियोग्राफी/फोटोग्राफी करायी जायगी निर्माण की अवधि में भी कार्य की विडियोग्राफी/फोटोग्राफी करायी जायगी तथा जाँच प्रतिवेदन के साथ इन्हें भी संधारित किया जायगा। प्रशासी विभाग समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा।

9. पथों के निरीक्षण हेतु ग्रामीण कार्य विभाग, के कार्यपालक अभियंता या उनसे ऊपर स्तर के पदाधिकारी भाड़े पर वाहन ले सकेंगे। यदि उनके पास विभागीय वाहन उपलब्ध हो तो इस कार्य हेतु पेट्रोल/डीजल की अनुमान्य सीमा के अन्तर्गत उपयोग करेंगे। प्रशासी विभाग समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा। वित्त विभाग इसके लिए आवश्यक निदेश निर्गत करेगा।